पत्र सं0–5/बजट (विविध) 01/2012 16628 /

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

केशव कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना 15, दिनांक– 3/2/14

विषयः– क्षेत्रीय कार्यालयों में संविदा पर नियोजित कर्मियों के मानदेय/पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में।

महाशय,

प्रायः जिला पदाधिकारी द्वारा सेवा निवृत्त कर्मियों को संविदा पर प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय (राजस्व कर्मचारी, अमीन), जिला आपूर्ति कार्यालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कार्यालय आदि में नियोजन के पश्चात् मानदेय राशि भुगतान करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य शीर्ष 2053 के तहत "व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ" विषय शीर्ष के अन्तर्गत आवंटन की मांग की जाती है।

राज्य में कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति के उपरांत नियुक्ति नहीं होने के फलस्वरूप कार्यहित में रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा पर नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभागीय संकल्प संख्या–2804 दिनांक–29.03.2010 निर्गत किया गया है।

उक्त संकल्प संख्या–2804 दिनांक 29.03.2010 द्वारा सेवाएँ लिये जाने के संबंध में चयन की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। कालांतर चयनित कर्मियों के भुगतान के संबंध में विभागीय आदेश संख्या–10514 दिनांक 21.10.2010 द्वारा निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के अनुसार संविदा पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय का भुगतान उस कार्यालय के स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में "व्यावसायिक सेवाएँ एवं विशेष सेवाओं के लिए अदायगियाँ" इकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा, जिस कार्यालय में वे नियोजित हैं।

यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि सभी विभागों में मुख्यालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में सभी सम्वर्ग के कार्यरत नियमित कर्मियों के लिए अपने–अपने स्तर से बजट का उपबंध कराया जाता है। अतः जिला के अधीन जितने कार्यालय हैं, जो सामान्य प्रशासन विभाग के नियंत्रणाधीन नहीं हैं, उसमें लिपिकीय सम्वर्ग एवं अन्य सम्वर्ग के रिक्त पदों के विरुद्ध नियोजित सभी कर्मियों के मानदेय के भुगतान हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश संख्या–10514 दिनांक 21.10.2014 के आलोक में आवंटन की मांग नहीं की जा सकती है।

सामान्य प्रशासन विभाग के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में प्रमंडलीय कार्यालय/जिला समाहरणालय/अनुमंडलीय कार्यालय ही चिन्हित हैं, जिसका बजटीय उपबंध एवं आवंटन विभाग द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जिला के अधीन अन्य कार्यालय तथा अंचल स्तर/प्रखंड स्तर आदि के रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा पर नियोजित किसी भी कर्मी के मानदेय के भुगतान/आवंटन देने की जिम्मेवारी संबंधित विभाग/कार्यालय की है।

तात्पर्य यह है कि कार्य हित में रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा पर नियोजित करने की कार्रवाई हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मात्र पत्र निर्गत किया गया है। नियोजित कर्मियों के मानदेय का भुगतान उसी रिक्त पद से संबंधित बजट शीर्ष में आवंटन प्राप्त कर किया जाना है, न कि सामान्य प्रशासन विभाग के आवंटन से।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि विभागीय आदेश संख्या–10514 दिनांक–21.10.2010 द्वारा लिये गए निर्णय के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग से मात्र प्रमंडलीय आयुक्त/जिला समाहरणालय/अनुमंडलीय कार्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध नियोजित कर्मियों के भुगतान हेतु बजट शीर्ष 2053 के "व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ" के विषय शीर्ष के अन्तर्गत आवंटन की मांग की जाए। अन्य विभाग/कार्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध नियोजित कर्मियों के भुगतान के लिए संबंधित विभाग/कार्यालय के बजट शीर्ष से "व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ" के विषय शीर्ष के अन्तर्गत आवंटन की मांग की जाए।

3/12/2014

(केशव कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–5/बजट (विविध) 01/2012 16628 / पटना–15 दिनांक 3.12.14

प्रतिलिपिः– सभी विभागाध्यक्ष/विभागीय प्रधान सचिव के कोषांग/विभागीय सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/12/2014

सरकार के अपर सचिव